निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 16)   पटना, बुधवार, 6 जनवरी 2021

ifjogu foHkkx

अधिसूचना

6 जनवरी 2021

सं० 02/कर/शुल्क–03/2020–90/परि0—कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 (1)–सहपठित–धारा–23 के ijUrd द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में निबंधित व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं बिहार राज्य में स्थायी परमिट के आधार पर परिचालित एवं पथकर देने वाले व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन के वाहन स्वामियों को बिहार राज्य में लागू लॉकडाउन की अवधि दिनांक 06.07.2020 से 06.09.2020 तक कुल 63 दिनों का देय पथकर से छूट प्रदान किया जाता है।

2. बिहार राज्य में निबंधित सभी प्रकार के मोटर वाहनों को दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि में पथकर पर देय अर्थदण्ड से छूट प्रदान किया जाता है।

3. उपर्युक्त कंडिका–01 में वर्णित 63 दिनों की कर में छूट का लाभ इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि में प्रथम भुगतान किये जाने वाले पथकर पर देय होगा एवं जिन वाहन स्वामी द्वारा संदर्भित अवधि का पथकर जमा किया जा चुका है, उनके 63 दिनों की पथकर के तुल्य राशि का समायोजन भी उपर्युक्त अवधि में भुगतेय कर में किया जाएगा।

4- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि के 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगा एवं प्रभावी होने की तिथि से 31.03.2021 तक दिनों तक प्रभावी रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 6th January 2021

No. -02/ Tax / Fee-03/2020-90/Par—In view of the lockdown applicable throughout the country due to the COVID-19 pandemic, using the powers conferred by the proviso to Section-15 (1) read with Section-23 of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act 1994, commercial passenger vehicles registered in Bihar and commercial passenger vehicles operating on permanent permit and paying applicable road tax in the state of Bihar are hereby exempted from paying road tax for the period 63 days of lockdown in the state of Bihar from 06.07.2020 to 06.09.2020.

2. All motor vehicles registered in the state of Bihar are exempted from penalty payable on road tax during the period 21.03.2020 to 31.3.2021

3. The road tax exemption for a period of 63 days as mentioned in Clause 01 shall be applicable on the first road tax payment by vehicle owners till 31.03.2021 from the date of effect of this notification and if the tax for the aforementioned period of 63 days has already been paid by the vehicle owner, the tax for that period shall be adjusted against the next road tax payment to be made by the vehicle owner before 31.03.2021.

4. This notification will come into effect after 5 working days of the date of its publication in Bihar Gazette and will remain effective till 31.03.2021.

By order of the Governor of Bihar.
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 16-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in